12/8/25 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। टिप्पणी सं. 14 के समक्ष परिवर्तित जारी होकर [illegible] आदेशिका प्राप्त हो चुकी है। इसके उपरान्त भी टिप्पणी सं. 14 उपस्थित नहीं। प्रार्थीगण ने ग्राम गुरला तहसील भीलवाड़ा के आराजी 1567 की पत्थरगढ़ी कराने हेतु आवेदन पेश किया। आराजी 1567 उदयलाल पुत्र रामलाल, उदा पुत्र रामलाल, माधु पुत्र रामलाल, सुरजमल पुत्र रामलाल एवं ग्यारसी देवी पत्नि देवचन्द गुर्जर के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण ने उदा पुत्र रामलाल गुर्जर को जो संयुक्त खातेदार है, को पक्षकार नहीं बनाया है। आराजी 1567 प्रार्थीगण व टिप्पणी संख्या 1 से 2 की संयुक्त खातेदारी है। विभाजन नहीं करवाया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 LR Act में आराजी 1567 के सभी खातेदार को पक्षकार नहीं बनाने से एवं विभाजन नहीं करवाने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रकरण अंतिम [illegible] होकर नम्बर से कम किया जावे।

12/8/25

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा